ायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
कदमा नम्बरः–7/2018 अपील
। शोकिन मोहम्मद पिता ईमाम बक्ष उस्ता (मुसलमान), उम्र बालिग निवासी गुरंला
इसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———अपीलार्थी

बनाम

–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
–सरपंच, ग्राम पंचायत गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———रेस्पोडेंटगण

———

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 527 ग्राम पंचायत गुरंला
निर्णय दिनांक 27.9.1982

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

पस्थितः–

———

–श्री मांगीलाल सैन, – एडवोकेट–अपीलार्थी

:: नि र्ण य :: दिनांकः–6.2.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक अपील न्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत रेस्पोडेंटगण के विरूद्व प्रस्तुत कर नेवेदन किया है कि ग्राम गुरंला पटवार हल्का गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2548, 2554 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 198, 199 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि खातेदार ईमाम बक्ष पिता दीन मोहम्मद उस्ता के नाम पर दर्ज थी। पटवारी हल्का गुरंला ने खातेदार ईमामबक्ष के फौत होने के बाद ईमामबक्ष के वारीसान की जॉच कर इंतकाल संख्या 527 में ईमामबक्ष के बजाय साकीर, साबीर, सीयार पिता ईमामबक्ष के नाम पर दिनांक 25.9.1982 को भरा गया। जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा भरे गये इंतकाल की पुष्टि दिनांक 27.9.1982 को की, तत्पश्चात उक्त इंतकाल को ग्राम पंचायत, गुरंला के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत गुरंला ने बिना किसी जॉच के दिनांक 27.9.1982 को स्वीकृत कर दिया। जबकि पटवारी हल्का को अपीलार्थी का नाम शोकिन मोहम्मद अंकितकरने के बजाय अपीलार्थी का नाम इंतकाल सख्या 527 में बिना किसी आधार के सीयार अंकित कर दिया । जबकि इस नाम के इमाम बक्ष के कोई वारीस नहीं है वास्तविक एवं दस्तावेज के आधार पर इमामबक्ष का वारीस शोकिन मोहम्मद हीहै जिनका गलत इंतकाल भरने से उक्त त्रुटि हुई है जिसकी जानकारी अपीलार्थी द्वारा हाल में भूमि ऋण लेने हेतु जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर गलत नाम अंकित होने की जानकारी हुई। तत्पश्चात अपीलार्थी ने इंतकाल संख्या 527 की नकल हेतु दिनांक 25.6.2018 को आवेदन किया एवं नकल दिनांक 28.6.2018 को प्राप्त होने पर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

...के साथ श्रीमान् समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। अपीलार्थी का वास्तविक एवं ...वेजों जैसे राशन कार्ड, जोब कार्ड, आधार कार्ड, टी0सी0, विधुत कनेक्शन, पहचान ... के आधार पर शोकिन मोहम्मद ही है जो सही है । दस्तावेजों के आधार पर दोनों ...की आराजियात में नाम सोयत एवं सियार के बजाय शोकिन मोहम्मद है जिसे ...किया जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी शोकिन ...मद का नाम गलत अंकित किया है जिसके बाबत किसी भी प्रकार की जॉच व ...काल नहीं की, केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा भरे गये इंतकाल को सही मानते ...स्वीकृत कर दिया जो निरस्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित ...काल संख्या 527 का निर्णय दिनांक 27.9.1982 को पारित किया है जिसकी जानकारी ...काल संख्या 527 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 28.6.2018 को प्राप्त करने पर सम्पूर्ण ...की जानकारी हुई जानकारी दिनांक से अपील अंदर अवधि में प्रस्तुत है फिर भी ...5 कानून मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत हैं। अतः अपीलार्थी की ...स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत इंतकाल ...527 दिनांक 2.9.1982 को निरस्त फरमा अपीलार्थी का नाम खाते में अंकित सीयार ...सोयत के बजाया शौकिन मोहम्मद अंकित करने हेतु तहसीलदार भीलवाडा के नाम ...देश प्रदान कराया जावें।

वकील अपीलार्थी की अपील दिनांक 7.8.2018 को पंजीबद्ध किया ...कर जरिये सम्मन रेस्पोडेंटगण को तलब किया गया। रेस्पोडेंटगण के सम्मन बाद ...मिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को कितनी ...मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण ...दिनांक 31.8.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील के समर्थन व ताईद में इंतकाल संख्या ...7 दिनांक 27.9.1982 की प्रमाणित नकल, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2068 से 2071 ...नकलें, परिवार के राशन कोर्ड की फोटो प्रति, जोब कार्ड की फोटो प्रति, बिजली का ...ल माह दिसम्बर 2013, आधार कार्ड की फोटो प्रति, मतदाता पहचान पत्र की फोटो ...ति, टी.सी. की फोटो प्रति किये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील अपीलार्थी ...रा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दस्तावेज प्रस्तुत करने का ...वसर समाप्त किया गया।

वकील अपीलार्थी ने बहस करनी चाही। वकील अपीलार्थी की बहस ...सुनी गयी। बहस के दौरान वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के ...आधार पर अपील को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा बहस पर मनन किया ...गया। विवादित इंतकाल नम्बर 527 निर्णय दिनांक 27.9.1982 ग्राम पंचायत, गुंरला ...तहसील व जिला भीलवाड़ा के अनुसार अपीलार्थी का नाम सोयत पिता ईमामबक्ष व ...सीयार पिता ईमामबक्ष मुसलमान साकिन देह के नाम गैर खातेदारी हैसियत से दर्ज ...रिकार्ड हुई हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2068 ...से 2071 की नकलों से होती हैं। प्रस्तुत इंतकाल नं. 527 दिनांक 27.9.1982 के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

रासत का खाता ईमामबक्ष के बजाय सीयार पिता ईमामबक्ष वगैराह के नाम दर्ज करने स्वीकृति दी। प्रस्तुत दस्तावेजों व अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार स्पष्ट है कि मामबक्ष की मृत्यु के बाद विरासत का खाता सीयार पिता ईमामबक्ष के नाम पर खोल या गया। इंतकाल को निर्णित करते समय किसी प्रकार से विरासत बाबत जॉच नहीं । बिना जॉच पड़ताल किये ही इंतकाल निर्णित कर दिया । जबकि सीयार का नाम किन मोहम्मद पिता ईमामबक्ष हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत दस्तावेज जैसे परिवार के न कार्ड की फोटो प्रति, जोब कार्ड की फोटो प्रति, बिजली का बिल माह दिसम्बर 13, आधार कार्ड की फोटो प्रति, मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति, टी.सी. की फोटो से होती हैं। जिसमें शौकिन मोहम्मद पिता ईमामबक्ष मुसलमान दर्ज हैं। उसी सार राजस्व रेकार्ड में अपना नाम संशोधन कराना चाहता हैं। खण्डन में न तो ोडेंटगण उपस्थित हुये और न ही किसी प्रकार का जवाब व दस्तावेज ही प्रस्तुत ये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी अपनी अपील को सिद्ध ाने में सफल रहने के कारण अपीलार्थी की अपील स्वीकार किया जाना उचित झती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, ग्राम ायत गुंरला द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 527 दिनांक 27.9.1982 को निरस्त या जाकर प्रकरण तहसीलदार भीलवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया ता है किं अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित सीयार व सोयत के बजाय किन मोहम्मद अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उसी अनुसार राजस्व कार्ड में अपीलार्थी को नाम शोकिन मोहम्मद दर्ज किया जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 6.2.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले ायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner